शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226 007

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान उ0प्र0,
लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद उ0प्र0।

पत्रांक: निशुल्क यूनिफार्म / 1341 /2013–14 लखनऊ दिनांक 26 अगस्त, 2013

विषय: **सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जाने वाली निःशुल्क यूनिफार्म हेतु धनराशि के हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

वर्ष 2013–14 में निःशुल्क यूनिफार्म उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के समस्त मण्डलायुक्तों एवं समस्त जिलाधिकारियों को सम्बोधित शासनादेश संख्या 3277/79–5–2013 दिनांक 23 अगस्त 2013 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2013–14 में निःशुल्क यूनिफार्म उपलब्ध कराये जाने हेतु व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में है।

उक्त शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालक, गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के बालकों को ₹200/– प्रति सेट यूनिफार्म की दर प्रति छात्र–छात्रा ₹400/– की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत पात्र छात्र–छात्राओं को दो सेट यूनिफार्म निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है।

इस सम्बन्ध में सभी बालिकाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालक, बी0पी0एल0 परिवार के प्रत्येक पात्र छात्र–छात्रा हेतु आवंटित धनराशि का 75 प्रतिशत अर्थात ₹ 52976.724 लाख (रूपये पांच सौ उन्नतीस करोड़ छिहत्तर लाख बहत्तर हजार चार सौ मात्र) **<u>परिशिष्ट–1</u>** पर संलग्न जनपदवार विवरण के अनुसार जनपदों को बैंक के माध्यम से अंतरित की जा रही है । यह धनराशि जनपदों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2013–14 के आधार पर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित जनपदवार धनराशि की 75 प्रतिशत है। जनपदों द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सूचित करते हुए बजट सीमा के अन्तर्गत यथा आवश्यकता शेष धनराशि की मांग राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी तदुपरान्त शेष धनराशि जनपदों को हस्तान्तरित की जायेगी।

उपर्युक्त शासनादेश के पृष्ठ संख्या 4 पर क्रय प्रकिया से सम्बन्धित प्रस्तर के बिन्दु संख्या 12 के अन्तर्गत निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा अपनायी जाने वाली भुगतान की प्रकिया में विशेष ध्यान रखा जाय।

उपर्युक्त निर्देशों के कम में उक्त धनराशि का व्यय सर्व शिक्षा अभियान के प्रोक्योरमेन्ट एवं वित्तीय मैनुअल के प्रावधानों का अनिवार्यतः पालन करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।

इस सम्बन्ध में निम्नवत् बिन्दुओं पर ध्यान रखा जाना आवश्यक है:–

1. **राजकीय, परिषदीय तथा सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं सहायतित माध्यमिक विद्यालयों से सम्बद्ध पूर्व माध्यमिक/प्राथमिक विद्यालयों और सहायता प्राप्त मदरसों में अध्ययनरत् कक्षा 01 से 08 तक की सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के समस्त बालकों को ₹ 400/– प्रति छात्र–छात्रा की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत दो सेट यूनिफार्म निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।**

2. **परिषदीय विद्यालयों में निःशुल्क यूनिफार्म की धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समिति के खातों में हस्तान्तरित करायी जायेगी।**

3. **राजकीय/सहायतित माध्यमिक विद्यालयों में यह धनराशि उक्त विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा 1–8 तक के छात्र–छात्राओं की संख्या के आधार पर उनकी मांग के अनुसार यथा स्थिति विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति के खाते / विद्यालय प्रबन्ध द्वारा सूचित सम्बन्धित विद्यालय के खाते में हस्तान्तरित की जाय। सम्बन्धित विद्यालयों से उक्त का उपभोग प्रमाणपत्र 31 दिसम्बर 2013 तक प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय।**

4. **राजकीय/सहायतित माध्यमिक विद्यालयों द्वारा निःशुल्क यूनिफार्म की मांग उपलब्ध कराने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर 2013 होगी। जिसे सम्बन्धित विद्यालयों को समय से सूचित किये जाने का दायित्व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा।**

5. **राजकीय/सहायतित माध्यमिक विद्यालयों को वर्ष 2012–13 में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय।**

6. संलग्न निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट–2 पर प्रगति की सूचना माह 30 सितम्बर, 2013 तक तदुपरान्त प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रगति की कमिक आख्या राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कृपया निःशुल्क यूनिफार्म के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।

संलग्नकः–**उक्तवत्।**

भवदीया,

(अमृता सोनी)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0 निशुल्क यूनिफार्म / 1341 / 2013–14 तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ ।
2. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल उ0प्र0 ।
4. श्रमायुक्त उ0 प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर को इस अनुरोध के साथ कि बाल श्रम परियोजना से आच्छादित जनपदों में तैनात सहायक/उप श्रमायुक्त एवं परियोजना निदेशक को सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से सम्पर्क कर कार्यवाही करने के निर्देश देने का कष्ट करें।
5. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त जनपद उ0प्र0।
6. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, सम्बन्धित जनपद उ0प्र0।
7. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
8. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उ0प्र0 लखनऊ।
9. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
10. अपर परियोजना निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ।
12. संयुक्त शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, समस्त मण्डल उ0प्र0।
13. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल उ0प्र0।
14. जिला विद्यालय निरीक्षक, समस्त जनपद उ0प्र0।
15. सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, समस्त जनपद उ0प्र0।

(अमृता सोनी)
राज्य परियोजना निदेशक

संख्या – 3277 / 79–5–2013

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त
2. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति

शिक्षा अनुभाग–5 लखनऊः दिनांकः 23 अगस्त, 2013

विषयः निःशुल्क यूनिफार्म की गुणवत्ता एवं समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2013–14 में निःशुल्क यूनिफार्म उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था की जा रही है :–

<u>वित्तीय व्यवस्था</u>

जनपदों को उनकी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2013–14 के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का 75% प्रथम किश्त के रूप में हस्तान्तरित किया जा रहा है। यह सुनिश्चित कराया जाय कि प्रत्येक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी धनराशि प्राप्त होने के 24 घण्टे के अन्दर विद्यालयवार धनराशि विद्यालय प्रबन्ध समिति के खाते में हस्तान्तरित कर दें तथा इस आशय का प्रमाण पत्र राज्य परियोजना कार्यालय में दो कार्य दिवस के अन्दर उपलब्ध करा दें। जनपदों द्वारा लक्ष्य के सापेक्ष उपभोग सूचित करते हुए शेष धनराशि की मांग राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करने पर अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि जनपदों को हस्तान्तरित की जायेगी।

<u>निःशुल्क यूनिफार्म वितरण की प्रकिया</u>

प्रदेश के लगभग 1.60 लाख प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् लगभग 1.75 करोड़ बच्चों को 2 सेट यूनिफार्म निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना है। उच्च गुणवत्ता युक्त निःशुल्क यूनिफार्म का वितरण विद्यालय प्रबन्ध समिति के माध्यम से समय से सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है :–

<u>जनपद स्तरीय समिति</u>

सर्वप्रथम जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यूनिफार्म की गुणवत्ता एवं समुचित वितरण सुनिश्चित करने हेतु निम्नवत् **जनपद स्तरीय समिति** गठित की जाती है :–

1. जिलाधिकारी / अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति — **अध्यक्ष**
2. मुख्य विकास अधिकारी अथवा वरिष्ठतम् अपर जिलाधिकारी — सदस्य (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

3. महा-प्रबन्धक/प्रबन्धक उद्योग विभाग — सदस्य
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी — सदस्य
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान — सदस्य
6. जिला विद्यालय निरीक्षक — सदस्य
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी — सदस्य सचिव

उक्त समिति सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद के पत्रांकः बे0शि0प0/3066–3162/2013–14 दिनांक 31 मई, 2013 द्वारा निर्धारित रंग की गुणवत्ता युक्त यूनिफार्म की समयबद्ध वितरण के अनुश्रवण के लिये उत्तरदायी होगी। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि निःशुल्क यूनिफार्म का वितरण *विद्यालय प्रबन्ध समिति* के माध्यम से **दिनांक 30 नवम्बर, 2013** तक पूर्ण हो जाये।

उपर्युक्त गठित समिति के समक्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यूनिफार्म वितरण हेतु छात्र संख्या की सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा विगत वर्ष में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कुल लक्ष्य एवं वितरण की जानकारी समिति को देंगे। जनपद स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक माह में कम–से–कम एक बार दिसम्बर, 2013 तक आयोजित की जाय।

यूनिफार्म वितरण प्रकिया का प्रचार–प्रसार

जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरांत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निःशुल्क यूनिफार्म वितरण के सम्बन्ध में जनपद से प्रकाशित होने वाले समाचार–पत्रों में निर्धारित समय सारिणी व शासन के निर्देशों से सम्बन्धित समाचार निःशुल्क प्रकाशित कराकर पर्याप्त प्रचार–प्रसार करायेंगे ताकि जनसामान्य को इस योजना के सम्बन्ध में जानकारी हो सके। इसके अतिरिक्त निःशुल्क यूनिफार्म वितरण के सम्बन्ध में जानकारी पैम्फलेट के रूप में छपवाकर विद्यालय प्रबन्ध समिति एवं ग्राम शिक्षा समिति के समस्त सदस्यों, ग्राम प्रधान एवं आवश्यकतानुसार समस्त अभिभावकों को भी वितरित कराने का प्रबंध करेंगे।

विकास खण्ड स्तर पर कय–प्रकिया प्रारम्भ करने के पूर्व प्रशिक्षण

जनपद स्तरीय समिति जनपद के समस्त विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष तथा सचिव को विकास खण्ड स्तर पर निःशुल्क यूनिफार्म के वितरण से सम्बन्धित प्रकिया तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों की जानकारी देने हेतु प्रभारी अधिकारी नामित करेंगी।

नामित प्रभारी अधिकारी अपने विकास खण्ड स्थित समस्त परिषदीय विद्यालयों की विद्यालय प्रबन्ध समितियों के अध्यक्षों की बैठक कर उन्हें निःशुल्क यूनिफार्म वितरण के दिशा–निर्देश, कय नियम, सैम्पल प्राप्त कर उसकी गुणवत्ता चेक करने एवं शर्ट–पैन्ट, स्कर्ट–ब्लाउज एवं सलवार–कुर्ते के रंग में भिन्नता न होने देने सम्बन्धी जानकारी देकर प्रशिक्षित करेंगे। यह कार्यवाही विद्यालय प्रबन्ध समितियों के पुनर्गठन के **एक सप्ताह** के अंदर पूर्ण करा लिया जाय।

विद्यालय प्रबन्ध समिति की भूमिका

यूनिफार्म वितरण हेतु ***विद्यालय प्रबन्ध समिति*** पूर्णतया उत्तरदायी होगी। निःशुल्क यूनिफार्म उपलब्ध कराये जाने हेतु सर्वप्रथम प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय प्रबन्ध समिति की विशेष बैठक आहूत की जायेगी जिसमें सभी सदस्यों को निःशुल्क यूनिफार्म वितरण कार्ययोजना से अवगत कराया जायेगा। यह कार्यवाही विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण समाप्त होने के **03 दिनों के अन्दर** सम्पन्न करा ली जाये।

क्रय–प्रकिया

तदुपरान्त विद्यालय प्रबन्ध समितियों द्वारा निम्न प्रकिया के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही सम्पादित की जायेगी :–

- **यूनिफार्म क्रय हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति बैठक कर 04 सदस्यों की एक क्रय समिति बनायेगी, जिसके सदस्य निम्नवत् होगें–**
    1. अध्यक्ष, विद्यालय प्रबन्ध समिति
    2. प्रधानाध्यापक/इंचार्ज अध्यापक (सदस्य सचिव, विद्यालय प्रबन्ध समिति)
    3. विद्यालय प्रबन्ध समिति का वह सदस्य जो सम्बन्धित एस0एम0सी0 हेतु स्थानीय प्राधिकारी अर्थात ग्राम पंचायत/नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत द्वारा नामित सदस्य हो।
    4. एक अन्य अभिभावक या संरक्षक जो विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा आम सहमति से नामित हो।

इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधान को विशिष्ट आमंत्री के रूप में समिति में आमंत्रित किया जायेगा।

- क्रय समिति विद्यालय की नामांकन/उपस्थिति पंजिका देखकर पात्र बच्चों की संख्या का निर्धारण करेगी तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति के समस्त सदस्यों को अवगत करायेगी, बैठक पंजिका में अंकित करेगी तथा उतनी ही संख्या में यूनिफार्म प्राप्त की जायेगीं।
- क्रय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि कपड़े की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, नाप के अनुसार प्रत्येक बच्चे को यूनिफार्म प्राप्त हो व यूनिफार्म का क्रय नियमों एवं दिशा–निर्देश के अनुसार हो।
- रू. 20000/–(बीस हजार) या उससे अधिक अनुमानित व्यय होने पर यूनिफार्म वितरण हेतु कोटेशन प्राप्त कर एवं रू. 100000/– (एक लाख) या उससे अधिक अनुमानित व्यय होने पर टेण्डर प्रक्रिया के माध्यम से क्रय करने की कार्यवाही की जायेगी।
- कोटेशन प्राप्त करने हेतु पर्याप्त प्रचार–प्रसार किया जायेगा। विद्यालय, पंचायत भवन, ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर नोटिस चस्पा की जायेगी।
- **क्रय समिति द्वारा कोटेशन/टेण्डर के साथ कपड़े/यूनिफार्म का एक–एक सैम्पल भी लिया जायेगा।** एप्रूव्ड कोटेशन/टेण्डर से प्राप्त यूनिफार्म का एक सैम्पल विद्यालय में अवश्य रखा जाय, जिससे निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता द्वारा सैम्पल से बच्चों को उपलब्ध करायी गयी यूनिफार्म का मिलान आसानी से किया जा सके।
- क्रय समिति कोटेशन/टेण्डर में प्राप्त सैम्पल कपड़े/यूनिफार्म की गुणवत्ता एवं निर्धारित रंग की एकरूपता के निर्धारण के पश्चात विद्यालय प्रबन्ध समिति के समस्त सदस्यों को दिखाकर उस पर अनुमोदन प्राप्त करेगी।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति कपड़े धोने के साबुन से सैम्पल को धुलवायेगी तथा उसकी गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त सैम्पल अनुमोदित करेगी।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति यूनिफार्म की सिलाई के लिये क्षेत्र में उपलब्ध स्वयं सहायता समूह/महिला समूह /स्थानीय दर्जी की सेवा ले सकती है।

- विद्यालय प्रबन्ध समिति सुनिश्चित करेगी कि प्राप्त यूनिफार्म अनुमोदित सैम्पल के अनुरूप तथा बच्चों के नाप के अनुसार हो।
- प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में प्राप्त यूनिफार्म का विवरण भौतिक परीक्षण के उपरान्त 'स्टाक रजिस्टर' में दर्ज किया जायेगा तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक बुलाकर उन्हें अवगत कराया जायेगा तथा यूनिफार्म दिखायी जायेगी एवं सभी सदस्यों के हस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।
- विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा यूनिफार्म प्राप्त होने पर भुगतान हेतु प्रस्तुत देयक के सापेक्ष 75% तथा शेष 25% भुगतान सैम्पल से मिलान करने के उपरान्त, बच्चों की फिटिंग ठीक पाये जाने पर व जनपद स्तरीय समिति द्वारा गठित टास्क फोर्स के निरीक्षण के उपरान्त एक माह के अन्दर करेगी ताकि उक्त अवधि में धुलाई के उपरान्त कपड़े की गुणवत्ता का भी पता चल सके।
- **समस्त भुगतान एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से किया जायेगा।** किसी भी स्थिति में नकद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा निःशुल्क यूनिफार्म हेतु आवंटित धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र यूनिफार्म वितरण के **एक माह के अन्दर** खण्ड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।

यूनिफार्म का वितरण

विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा **यूनिफार्म वितरण** हेतु मा0 सांसद, मा0 विधायक एवं अन्य माननीय जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क कर वितरण की तिथियों से अवगत कराया जायेगा तथा यह प्रयास किया जायेगा कि वितरण गणमान्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही हो तथा यूनिफार्म का वितरण ग्राम प्रधान एवं बच्चों के अभिभावकों की उपस्थिति में सुनिश्चित किया जाय।

सचिव, विद्यालय प्रबन्ध समिति यह सुनिश्चित करेंगे कि **आई0वी0आर0एस0 प्रणाली** के माध्यम से विद्यालय में यूनिफार्म वितरण की तिथि संसूचित की जाय।

खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में यूनिफार्म का वितरण जन प्रतिनिधिनियों एवं अभिभावकों की उपस्थिति में हो।

निर्धारित वितरण तिथि में छात्रों को वितरित यूनिफार्म की संख्या आई0वी0आर0एस0 प्रणाली के माध्यम से उसी दिन संसूचित करने की जिम्मेदारी प्रधान अध्यापक की होगी।

यूनिफार्म वितरण का अनुश्रवण

जनपद स्तरीय समिति द्वारा गठित **टास्क फोर्स** यूनिफार्म वितरण की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर विद्यालय का **अनिवार्य रूप से निरीक्षण** करेगी।

टास्क फोर्स अन्य बिन्दुओं के अलावा इस बिन्दु पर भी अपनी रिपोर्ट जनपद स्तरीय समिति को देगी कि वितरित किये गये यूनिफार्म को धुलने के बाद रंग फीका पड़ने कपड़े के सिकुड़ने आदि की शिकायत तो प्राप्त नहीं हुई है। इस प्रयोजन हेतु कतिपय अभिभावकों का अभिमत भी टास्क फोर्स प्राप्त करेगी।

यूनिफार्म वितरण में अनियमितता पाये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण

विद्यालय स्तर पर निरीक्षण के समय सैम्पल न मिलने अथवा सैम्पल के अभाव में भुगतान किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित प्रधानाध्यापक एवं अध्यक्ष, विद्यालय प्रबन्ध

समिति के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर भुगतान की धनराशि की पूर्ण रिकवरी की कार्यवाही खण्ड शिक्षा अधिकारी के द्वारा की जायेगी तथा इसकी सूचना जनपद स्तरीय समिति को भी तत्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

किसी भी स्तर पर यूनिफार्म की गुणवत्ता खराब पाये जाने अथवा फर्जी संख्या दर्शाकर वास्तविकता से अधिक वितरण दिखाने पर तथा नकद भुगतान करने आदि से सम्बन्धित शिकायतें सही पाये जाने पर विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/इंचार्ज अध्यापक के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर उनसे व्यय धनराशि की वसूली करायी जायेगी तथा प्रधानाध्यापक/इंचार्ज अध्यापक के विरूद्ध नैतिक अधमता (moral turpitude) हेतु वृहद दण्ड दिये जाने की भी कार्यवाही खण्ड शिक्षा अधिकारी / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा की जायेगी।

<u>प्रभावी अनुश्रवण व्यवस्था</u>

निःशुल्क यूनिफार्म की गुणवत्ता तथा समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक स्तर पर <u>प्रभावी अनुश्रवण व्यवस्था</u> स्थापित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

<u>विकास खण्ड स्तर</u>

विकास खण्ड/वार्ड स्तर पर गुणवत्तायुक्त यूनिफार्म के वितरण का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी का होगा।

खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी यूनिफार्म की क्रय प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व प्रधानाध्यापकों की एक बैठक बुलाकर विस्तृत निर्देशों की प्रति प्रत्येक को उपलब्ध करायेंगे तथा विकेन्द्रीकृत क्रय की पूरी प्रक्रिया से उन्हें अवगत कराते हुए विद्यालय प्रबन्ध समिति की क्रय समिति को गठित करने, रंग की एकरूपता, कपड़े की गुणवत्ता तथा कोटेशन/टेण्डर प्राप्त करने के सम्बन्ध में जानकारी देंगे।

खण्ड शिक्षा अधिकारी स्वयं विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे तथा बी0आर0सी0 एवं ए0बी0आर0सी0 के माध्यम से भी अपने विकास खण्ड के सभी विद्यालयों का निरीक्षण करायेंगे तथा निरीक्षण किये गये विद्यालयों की सूचना जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम को देंगे।

छात्रवृत्ति योजना से आच्छादित, मध्यान्ह भोजन एवं पाठ्य पुस्तकों से लाभान्वित छात्र–छात्राओं की संख्या व नाम का मिलान निःशुल्क यूनिफार्म से लाभान्वित छात्र–छात्राओं से किया जायेगा। विसंगति होने की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित कर सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/इंचार्ज अध्यापक एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष के विरूद्ध कार्यवाही करने की जिम्मेदारी खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी की होगी।

खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी यह भी प्रमाणित करेंगे कि उनके अधीनस्थ सभी विद्यालयों में क्रय प्रक्रिया सही अपनायी गयी है तथा समस्त भुगतान 'एकाउन्ट पेई' चेक के माध्यम से किये गये हैं।

यदि किसी स्तर पर यूनिफार्म की आपूर्ति में खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी की संलिप्तता पायी जाती है अथवा शिकायतें प्राप्त होती हैं तो विभाग द्वारा उसे संज्ञान में लेते हुए न केवल रिकवरी की कार्यवाही की जायेगी अपितु उसे कदाचार की श्रेणी में रखते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

जनपद स्तर पर

जनपद के समस्त विद्यालयों का निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों के द्वितीय श्रेणी से अनिम्न अधिकारियों को **विकास खण्डवार प्रभारी अधिकारी** तथा विकास खण्ड स्थित विद्यालयों के शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु **एन0पी0आर0सी0वार नोडल अधिकारी** नामित करते हुए **टास्क फोर्स** गठित की जायेगी।

टास्क फोर्स के सदस्यों द्वारा सितम्बर माह से दिसम्बर तक नियमित रूप से विद्यालयों का निरीक्षण किया जायेगा तथा निरीक्षण की आख्या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा एकत्र कर जिलाधिकारी को प्रत्येक सोमवार को उपलब्ध करायी जायेगी।

जनपद स्तरीय कन्ट्रोल रूम

जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में दिनांक 01 सितम्बर, 2013 से **कन्ट्रोल रूम स्थापित** किया जाय। ई–मेल/दूरभाष पर प्राप्त सूचना/शिकायत का संकलन कन्ट्रोल रूम में किया जायेगा तथा रिपोर्ट जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

विकास खण्ड पर विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं सचिव को कराये गये प्रशिक्षण, विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा दिये गये कयादेश, विद्यालय में प्राप्त यूनिफार्म, यूनिफार्म वितरण हेतु निर्धारित की गयी तिथि, निर्धारित तिथि पर छात्रों को वितरित यूनिफार्म की संख्या तथा टास्क फोर्स द्वारा किये गये निरीक्षण एवं विद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा किये गये भुगतान आदि से सम्बन्धित सूचना नियमित रूप से जिलाधिकारी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रस्तुत करेंगे।

जिलाधिकारियों से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं जनपदीय भ्रमण के दौरान विद्यालय में समय से यूनिफार्म के वितरण तथा उसकी गुणवत्ता के सम्बन्ध में निरीक्षण करेंगे।

समस्त जिला समन्वयक एवं सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी के लिए कम से कम 10% विद्यालयों के निरीक्षण का लक्ष्य जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा कि समस्त न्याय पंचायत के कम से कम दो–दो विद्यालय अवश्य देखे जायें।

जिला विद्यालय निरीक्षक का दायित्व होगा कि वे राजकीय/सहायतित माध्यमिक विद्यालयों से सम्बन्धित कक्षा 1–5 एवं 6–8 के बच्चों को गुणवत्तायुक्त निःशुल्क यूनिफार्म का समयबद्ध वितरण सुनिश्चित करायेंगे तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 तक यथा स्थिति विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति के खाते/विद्यालय प्रबन्ध द्वारा सूचित सम्बन्धित विद्यालय के खाते में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

निरीक्षण के दौरान बी0एस0ए0 द्वारा विभिन्न स्तरीय प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कपड़े की गुणवत्ता, रंग के अन्तर तथा क्रय प्रक्रिया में विसंगति पाये जाने पर तत्काल विद्यालय के प्रधानाध्यापक/इंचार्ज अध्यापक/खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी एवं अन्य का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा कृत कार्यवाही की सूचना जिलाधिकारी एवं राज्य स्तर पर गठित कन्ट्रोल रूम को दी जायेगी।

जनपद स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पूर्ण रूप से यथा निर्देश यूनिफार्म वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगें। इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ सभी अधिकारियों के साथ बैठक कर राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशों एवं जिला स्तरीय समिति

द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में Micro Level तक की योजना बनायेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्तर पर 'कम्यूनिकेशन–गैप' न हो।

<u>मण्डल स्तर पर</u>

मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त द्वारा **विशेष जांच दल** गठित कर निःशुल्क यूनिफार्म वितरण के सम्बन्ध में **अर्न्तजनपदीय निरीक्षण** की व्यवस्था करायी जायेगी। उक्त दल 15–15 दिवस के अन्तराल पर यूनिफार्म वितरण प्रारम्भ होने की तिथि से अगले 03 माह तक निरीक्षण करेंगे तथा अपनी रिपोर्ट मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेगें।

रिपोर्ट के निष्कर्षों की जानकारी सम्बन्धित जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा उनके द्वारा लिये गये सुधारात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही की सूचना मण्डलायुक्त कार्यालय में रखी जायेगी।

मण्डलीय **सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)** मण्डल स्तर पर निःशुल्क यूनिफार्म वितरण के अनुश्रवण हेतु **नोडल अधिकारी** होंगे और मण्डलायुक्त के दिशा–निर्देश पर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) यह सुनिश्चित करेंगे कि मण्डल स्तर पर की गयी समस्त कार्यवाही की सूचना अनिवार्य रूप से तत्काल राज्य स्तर पर गठित कन्ट्रोल रूम को ई–मेल/फैक्स के माध्यम से प्रेषित हो।

सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) अपने मण्डल के समस्त जनपदों के कम से कम 10–10 विद्यालय प्रति जनपद में निरीक्षण कर विद्यालयों में यूनिफार्म वितरण का भौतिक निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण आख्या मण्डलायुक्त को प्रस्तुत करेंगे।

<u>राज्य स्तर पर कन्ट्रोल रूम</u>

राज्य परियोजना निदेशक के कार्यालय में **कन्ट्रोल रूम** स्थापित किया जायेगा। प्रति दिन आई0वी0आर0एस0 प्रणाली तथा **<u>दिनांक 01 सितम्बर, 2013 से प्रभावी टोल–फ्री नम्बर 18001805553</u>** पर निःशुल्क यूनिफार्म के वितरण से सम्बन्धित प्राप्त जानकारी/शिकायत का परीक्षण किया जायेगा और आवश्यकतानुसार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा तथा उस पर कृत कार्यवाही का पूर्ण विवरण रखा जायेगा। आवश्यकतानुसार राज्य स्तर पर गठित **विशेष टास्क फोर्स** के द्वारा भी विभिन्न जनपदों में औचक या आकस्मिक निरीक्षण करायी जायेगी।

शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा विशेष टास्क फोर्स के गठन में बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा तथा सर्व शिक्षा अभियान में राज्य एवं मण्डल स्तर पर कार्यरत् अधिकारियों को नामित करने हेतु अधिकृत होंगे तथा शासनादेश में प्राविधानित निर्देशानुसार समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से संपादित करायेंगे।

उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन प्रभावी ढ़ंग से सुनिश्चित किया जाय जिससे छात्र–छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण उत्कृष्ट कोटि के यूनिफार्म उपलब्ध हो सके। किसी भी स्तर पर अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. सचिव, माध्यमिक, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान उ0 प्र0 लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक, बेसिक उ0 प्र0 लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इस सम्बन्ध में अपने स्तर से भी निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
4. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक/निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उ0प्र0 लखनऊ।
5. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद्/अपर शिक्षा निदेशक, बेसिक, उ0प्र0, इलाहाबाद।
6. समस्त प्राचार्य, डायट, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

23.8.13

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट–1

2013-14 Physical and Financial Target for Distribution Free Uniform (Rupees in Lakhs)

S.No.	District	All Girls	Fin	SC Boys	Fin	ST Boys	Fin	BPL Boys	Fin	Total Physical Target	Total Financial Target @ ₹400/- per child (Rs. in Lakhs)	Amount being released (75% of Total Target)	Remaining budget to be released on demand
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Agra	163956	655.824	46453	185.812	0	0.000	8362	33.45	218771	875.084	656.313	218.771
2	Aligarh	162736	650.944	53230	212.920	0	0.000	15914	63.66	231880	927.520	695.640	231.880
3	Allahabad	298784	1195.136	100345	401.380	0	0.000	31695	126.78	430824	1723.296	1292.472	430.824
4	Ambedkar Nagar	122722	490.888	41938	167.752	0	0.000	44673	178.69	209333	837.332	627.999	209.333
5	Auraiya	71760	287.040	27495	109.980	0	0.000	25081	100.32	124336	497.344	373.008	124.336
6	Azamgarh	283390	1133.560	103036	412.144	0	0.000	29009	116.04	415435	1661.740	1246.305	415.435
7	Badaun	188096	752.384	41735	166.940	0	0.000	61401	245.60	291232	1164.928	873.696	291.232
8	Baghpat	49461	197.844	10038	40.152	0	0.000	21308	85.23	80807	323.228	242.421	80.807
9	Bahraich	239196	956.784	48030	192.120	1115	4.460	188334	753.34	476675	1906.700	1430.025	476.675
10	Balia	207729	830.916	47025	188.100	8628	34.512	117865	471.46	381247	1524.988	1143.741	381.247
11	Balrampur	137445	549.780	28970	115.880	1813	7.252	89714	358.86	257942	1031.768	773.826	257.942
12	Banda	135484	541.936	37356	149.424	0	0.000	27191	108.76	200031	800.124	600.093	200.031
13	Barabanki	204089	816.356	72053	288.212	0	0.000	57527	230.11	333669	1334.676	1001.007	333.669
14	Bareilly	224529	898.116	53112	212.448	0	0.000	88086	352.34	365727	1462.908	1097.181	365.727
15	Basti	147914	591.656	41538	166.152	0	0.000	77766	311.06	267218	1068.872	801.654	267.218
16	Bhadohi	99402	397.608	32550	130.200	0	0.000	16875	67.50	148827	595.308	446.481	148.827
17	Bheem Nagar (Sambhal)	120521	482.084	25265	101.060	0	0.000	14350	57.40	160136	640.544	480.408	160.136
18	Bijnor	147057	588.228	42745	170.980	287	1.148	46317	185.27	236406	945.624	709.218	236.406
19	Buland Shahar	142122	568.488	43004	172.016	0	0.000	4849	19.40	189975	759.900	569.925	189.975
20	Chandauli	133546	534.184	45706	182.824	0	0.000	68148	272.59	247400	989.600	742.200	247.400
21	CSM Nagar (Amethi)	180609	722.436	52229	208.916	0	0.000	99594	398.38	332432	1329.728	997.296	332.432
22	Chitrakoot	82608	330.432	28345	113.380	0	0.000	20523	82.09	131476	525.904	394.428	131.476
23	Deoria	198561	794.244	45059	180.236	6534	26.136	99184	396.74	349338	1397.352	1048.014	349.338
24	Etah	107691	430.764	23260	93.040	0	0.000	33694	134.78	164645	658.580	493.935	164.645
25	Etawah	76774	307.096	28342	113.368	0	0.000	19890	79.56	125006	500.024	375.018	125.006
26	Faizabad	138062	552.248	44640	178.560	0	0.000	41876	167.50	224578	898.312	673.734	224.578

परिशिष्ट–1

2013-14 Physical and Financial Target for Distribution Free Uniform (Rupees in Lakhs)

S.No.	District	All Girls	Fin	SC Boys	Fin	ST Boys	Fin	BPL Boys	Fin	Total Physical Target	Total Financial Target @ ₹400/- per child (Rs. in Lakhs)	Amount being released (75% of Total Target)	Remaining budget to be released on demand
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Farrukhabad	108575	434.300	24057	96.228	0	0.000	37199	148.80	169831	679.324	509.493	169.831
28	Fatehpur	139147	556.588	51396	205.584	55	0.220	24386	97.54	214984	859.936	644.952	214.984
29	Firozabad	107991	431.964	28751	115.004	0	0.000	17895	71.58	154637	618.548	463.911	154.637
30	Gautam Budha Nagar	44679	178.716	14193	56.772	0	0.000	7880	31.52	66752	267.008	200.256	66.752
31	Ghaziabad	56199	224.796	13247	52.988	0	0.000	5779	23.12	75225	300.900	225.675	75.225
32	Ghazipur	209840	839.360	57294	229.176	227	0.908	95409	381.64	362770	1451.080	1088.310	362.770
33	Gonda	201469	805.876	41060	164.240	14	0.056	78057	312.23	320600	1282.400	961.800	320.600
34	Gorakhpur	254720	1018.880	76809	307.236	128	0.512	123056	492.22	454713	1818.852	1364.139	454.713
35	Hamirpur	65453	261.812	17464	69.856	0	0.000	30424	121.70	113341	453.364	340.023	113.341
36	Hardoi	299393	1197.572	109284	437.136	0	0.000	111118	444.47	519795	2079.180	1559.385	519.795
37	Hathras (Mahamaya Nagar)	87405	349.620	37563	150.252	0	0.000	16734	66.94	141702	566.808	425.106	141.702
38	Jalaun	85555	342.220	29925	119.700	0	0.000	20590	82.36	136070	544.280	408.210	136.070
39	Jaunpur	330423	1321.692	64075	256.300	0	0.000	205361	821.44	599859	2399.436	1799.577	599.859
40	Jhansi	103433	413.732	36994	147.976	0	0.000	8861	35.44	149288	597.152	447.864	149.288
41	Jyotiba Phule Nagar	76495	305.980	17668	70.672	0	0.000	13825	55.30	107988	431.952	323.964	107.988
42	Kannauj	93522	374.088	24769	99.076	0	0.000	42658	170.63	160949	643.796	482.847	160.949
43	Kanpur Dehat	89380	357.520	36929	147.716	0	0.000	39878	159.51	166187	664.748	498.561	166.187
44	Kanpur Nagar	120697	482.788	41533	166.132	4	0.016	39146	156.58	201380	805.520	604.140	201.380
45	Kanshi Ram Nagar	89061	356.244	20084	80.336	0	0.000	17180	68.72	126325	505.300	378.975	126.325
46	Kaushambi	96091	384.364	46405	185.620	0	0.000	18966	75.86	161462	645.848	484.386	161.462
47	Kushi Nagar	201986	807.944	47019	188.076	0	0.000	105930	423.72	354935	1419.740	1064.805	354.935
48	Lakhimpur Kheri	285500	1142.000	96518	386.072	3489	13.956	129420	517.68	514927	2059.708	1544.781	514.927
49	Lalitpur	102231	408.924	24016	96.064	8869	35.476	27089	108.36	162205	648.820	486.615	162.205
50	Lucknow	121262	485.048	52602	210.408	0	0.000	62289	249.16	236153	944.612	708.459	236.153
51	Maharajganj	164187	656.748	40457	161.828	250	1.000	77321	309.28	282215	1128.860	846.645	282.215
52	Mahoba	98952	395.808	17934	71.736	0	0.000	8036	32.14	124922	499.688	374.766	124.922
53	Mainpuri	97397	389.588	26459	105.836	0	0.000	25237	100.95	149093	596.372	447.279	149.093
54	Mathura	97272	389.088	29578	118.312	0	0.000	27132	108.53	153982	615.928	461.946	153.982

परिशिष्ट–1

2013-14 Physical and Financial Target for Distribution Free Uniform (Rupees in Lakhs)

S.No	District	All Girls	Fin	SC Boys	Fin	ST Boys	Fin	BPL Boys	Fin	Total Physical Target	Total Financial Target @ ₹400/- per child (Rs. in Lakhs)	Amount being released (75% of Total Target)	Remaining budget to be released on demand
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	Mau	114504	458.016	58826	235.304	2262	9.048	54411	217.64	230003	920.012	690.009	230.003
56	Meerut	95596	382.384	29785	119.140	0	0.000	4278	17.11	129659	518.636	388.977	129.659
57	Mirzapur	172971	691.884	64073	256.292	44	0.176	86158	344.63	323246	1292.984	969.738	323.246
58	Moradabad	113697	454.788	20711	82.844	0	0.000	18160	72.64	152568	610.272	457.704	152.568
59	Muzaffar Nagar	86628	346.512	19734	78.936	0	0.000	5801	23.20	112163	448.652	336.489	112.163
60	Panchsheel Nagar (Hapur)	34331	137.324	11263	45.052	0	0.000	6801	27.20	52395	209.580	157.185	52.395
61	Pilibhit	122026	488.104	28453	113.812	78	0.312	28451	113.80	179008	716.032	537.024	179.008
62	Prabuddha Nagar (Shamli)	37800	151.200	7618	30.472	0	0.000	4976	19.90	50394	201.576	151.182	50.394
63	Pratapgarh	176478	705.912	61548	246.192	0	0.000	58850	235.40	296876	1187.504	890.628	296.876
64	Rai Bareilly	134554	538.216	57213	228.852	0	0.000	57174	228.70	248941	995.764	746.823	248.941
65	Rampur	121179	484.716	29632	118.528	0	0.000	25175	100.70	175986	703.944	527.958	175.986
66	Saharanpur	121552	486.208	38364	153.456	0	0.000	36752	147.01	196668	786.672	590.004	196.668
67	Sant Kabir Nagar	100137	400.548	29467	117.868	0	0.000	54682	218.73	184286	737.144	552.858	184.286
68	Shahjahanpur	213655	854.620	47600	190.400	0	0.000	58579	234.32	319834	1279.336	959.502	319.834
69	Siddharth Nagar	182613	730.452	45323	181.292	20	0.080	74672	298.69	302628	1210.512	907.884	302.628
70	Sitapur	290123	1160.492	115244	460.976	0	0.000	123321	493.28	528688	2114.752	1586.064	528.688
71	Sonebhadra	126300	505.200	35599	142.396	37201	148.804	37711	150.84	236811	947.244	710.433	236.811
72	Srawasti	72220	288.880	17499	69.996	839	3.356	58352	233.41	148910	595.640	446.730	148.910
73	Sultanpur	148849	595.396	50804	203.216	0	0.000	81122	324.49	280775	1123.100	842.325	280.775
74	Unnao	155819	623.276	68578	274.312	0	0.000	67004	268.02	291401	1165.604	874.203	291.401
75	Varanasi	154415	617.660	40792	163.168	44	0.176	44781	179.12	240032	960.128	720.096	240.032
	Total	**10668006**	**42672.024**	**3165708**	**12662.832**	**71901**	**287.604**	**3753293**	**15013.172**	**17658908**	**70635.632**	**52976.724**	**17658.908**

परिशिष्ट-2

सर्व शिक्षा अभियान

निःशुल्क यूनिफार्म वितरण प्रगति पत्र- 2013-14

जनपद.................................. माह

क्र० सं०	विवरण	विद्यालयों की संख्या	निःशुल्क यूनिफार्म का भौतिक लक्ष्य					माह तक दो सेट यूनिफार्म का वितरण							
			सभी बालिकायें	अनु०बालक	अनुज०जा० बालक	गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के बालक	योग	विद्यालयों की संख्या जहॉं वितरण कार्य पूर्ण हो गया है	प्रतिशत	छात्र संख्या जिनको यूनिफार्म वितरित हुयी: सभी बालिकायें	अनु०बालक	अनु०ज० जाति बालक	गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के बालक	योग	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	परिषदीय प्राथमिक विद्यालय														
	परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय														
	राजकीय प्राथमिक विद्यालय														
	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय														
	माध्यमिक विद्यालय (राजकीय)														
	अनुदानित प्राथमिक विद्यालय														
	अनुदानित उच्च प्राथमिक विद्यालय														
	सहायतित माध्यमिक विद्यालय														
	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय														
	बालश्रम उन्मूलन विद्यालय														
	समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालय														
	योग														